2015 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. नई धारा 5–ख का अन्तःस्थापन।
5. धारा 7 का संशोधन।
6. धारा 8 का संशोधन।
7. धारा 11–क का संशोधन।
8. धारा 99 का संशोधन।
9. धारा 122 का संशोधन।
10. धारा 131 का संशोधन।
11. धारा 144 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (19) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (19–क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(19–क) "महिला ग्राम सभा" से इस अधिनियम की धारा 5–ख के अधीन गठित महिला ग्राम सभा अभिप्रेत है;"; और

(ख) खण्ड 21 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (21–क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(21–क) "निकट सम्बन्धी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पंचायत के पदाधिकारी से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत पिता, माता, दादा, दादी, पत्नी, पति, ससुर, सास, मामा या चाचा, पुत्र, प्रपौत्र, पुत्री, प्रपौत्री, दामाद, पुत्र बधू, भाई, साला, भतीजा, भतीजी, बहन या बहन का पति भी है;"।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, "वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर" जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर मास में" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक मास में शामिल हो जाएं। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत–वार तारीखें अधिसूचित करेगा :"।

नई धारा 5–ख का अन्तःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"5–ख. महिला ग्राम सभा का गठन.–(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली 8 मार्च को और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर विचार–विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का निकट सम्बन्धी है :"।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के विद्यमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:– धारा 8 का संशोधन।

"परन्तु जहां ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं है, तो वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान (सीट) आरक्षित नहीं किया जाएगा।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 11–क की उपधारा (5) में, "तीन सौ" और "पाँच सौ" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पाँच सौ" और "सात सौ" शब्द रखे जाएंगे। धारा 11–क का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (5) में "कार्यकारी अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा। धारा 99 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :– धारा 122 का संशोधन।

"स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "परिवार का सदस्य" से, दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्रि (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं : या"।

10. मूल अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (4) में, "आकस्मिक रिक्ति हो गई है" शब्दों के पश्चात् "जिसके लिए औपचारिक आदेश जिला पंचायत अधिकारी द्वारा तद्नुसार जारी किया जाएगा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 131 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 144 में,– धारा 144 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "या संदत्त" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) में, "या धन का संदाय नहीं करता" शब्दों का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो अनन्य रूप से महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और पंचायत के समग्र विकास से सम्बद्ध मामलों पर विचार–विमर्श करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना सके। इस मामले पर विचार किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक ग्राम सभा में महिला ग्राम सभा का गठन उनसे सम्बन्धित मामलों के निवारण के प्रयोजन के लिए करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। यह सुनिश्चित करने के आशय से कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तर के कृत्यकारी ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों, जिला पंचायत अधिकारी को प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों के लिए विभिन्न तारीखें अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी शिकायतें भी हैं कि पंचायतों के पदाधिकारी अपने निकट सम्बन्धियों को ग्राम सभा की सतर्कता समिति में सदस्यों के रूप में मनोनीत कर रहे हैं जिससे पदाधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों के बीच गहरे सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सरकारी निधियों का दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए, इस अनाचार को मिटाने के आशय से, पद "निकट सम्बन्धी" को परिभाषित करने और सतर्कता समिति के सदस्यों के रूप में की जा रही उनकी नियुक्ति के अपवर्जन हेतु तथा पंचायतों द्वारा संकर्मों के निष्पादन में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 122 पंचायत के किसी पदाधिकारी की निरहर्ताओं का उपबन्ध करती है। ऐसी शिकायतें भी हैं कि पदाधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों ने सरकारी भूमि का अधिक्रमण किया है और, पदाधिकारी उसके अप्रत्यक्षतः हिताधिकारी हैं, इसलिए धारा 122 की उपधारा (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को और अधिक सुविस्तृत बनाया जा रहा है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिल शर्मा)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(अनिल शर्मा)
प्रभारी मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख :....., 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) से (18) xxx xxx xxx

(19) "भू–राजस्व" के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर चारण के लिए उद्गृहीत तिरनी या देय चरवाहागीरी है;

(20) xxx xxx xxx

(21) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित स्वायत शासन संस्था अभिप्रेत है और छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड इसके अन्तर्गत है;

(22) से (28) xxx xxx xxx

5. सभा की बैठकें और गणपूर्ति.—(1) प्रत्येक सभा प्रतिवर्ष चार साधारण बैठकें करेगी और प्रत्येक बैठक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को होगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व प्रधान का होगा :

परन्तु यह कि प्रधान किसी भी समय या सदस्यों के कम से कम पांचवें भाग की लिखित अध्यपेक्षा पर, अथवा यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या उपायुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रधान के इस उप–धारा के अधीन बैठकें बुलाने में असफल रहने पर, विहित प्राधिकारी आगामी तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा।

(2) ग्राम सभा की सभी बैठकों का समय और स्थान विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) ग्राम सभा की किसी साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई भाग होगी और विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए, ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित होगा।

(4) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान और प्रधान की अनुपस्थिति में उप–प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान और उप–प्रधान, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

7. ग्राम सभा के कृत्य.–(1) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) से (च) xxx xxx xxx

(2) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव देगी, अर्थात् :–

(क) से (च) xxx xxx xxx

(3) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करेगी।

(4) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के संकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने और उनके बारे में इसकी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों से गठित, जो पंचायत के सदस्य नहीं हैं, एक या एक से अधिक सतर्कता समितियां भी बना सकेगी और उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रति ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए :

परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समित्ति के सदस्य के रूप में चयनित् होने, और सदस्य होने के लिए निरहित हो जाएगा यदि उसने, खण्ड (छ) के अधीन वर्णित निरहर्ता के सिवाए, धारा 122 की उप–धारा (1) में वर्णित कोई भी निरहर्ता उपगत की हो।

(5) कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर के कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे, जिसकी अधिकारिता में वह तैनात हैं, और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक

कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

8. ग्राम पंचायत का गठन.–(1) ग्राम सभा के लिए एक पंचायत होगी और प्रत्येक ग्राम सभा, विहित रीति में अपने सदस्यों में से, सभा के प्रधान और उप–प्रधान का निर्वाचन करेगी जो ग्राम पंचायत के प्रधान और उप–प्रधान भी कहलाएंगे और अपने सदस्यों में से ही एक कार्यकारिणी समिति भी निर्वाचित करेगी जो, ग्राम पंचायत कहलाएगी, जिस का गठन प्रधान और उप–प्रधान सहित व्यक्तियों की ऐसी संख्या से होगा, जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी, जैसी कि सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित करे :

परन्तु प्रत्येक ग्राम सभा के लिए प्रधान और उप–प्रधान को अपवर्जित करके, सदस्यों की संख्या का अवधारण निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा :–

(क) 1750 से अनधिक जनसंख्या के लिए	..पांच
(ख) 1750 से अधिक किन्तु 2750 से अनधिक जनसंख्या के लिए	..सात
(ग) 2750 से अधिक किन्तु 3750 से अनधिक जनसंख्या के लिए	..नौ
(घ) 3750 से अधिक किन्तु 4750 से अनधिक जनसंख्या के लिए	..ग्यारह
(ङ) 4750 से अधिक जनसंख्या के लिए	..तेरह :

परन्तु यह और कि प्रधान और उप–प्रधान को अपवर्जित करके पंचायत के सदस्यों की संख्या का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा कि ग्राम सभा की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात जहां तक व्यवहार्य हो, सारे सभा क्षेत्र में एक जैसा ही हो :

परन्तु यह और भी कि ग्राम सभा क्षेत्र के भाग या पूर्ण का प्रतिनिर्धारण करने वाला पंचायत समिति का सदस्य, सम्बद्ध ग्राम पंचायत (तों) का भी सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा।

(2) ग्राम पंचायत में निम्नलिखत के लिए स्थान आरक्षित किए जांएगे–

(क) अनुसूचित जाति, और

(ख) अनुसूचित जनजाति,

और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का, ग्राम पंचायत के कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा जो सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है :

परन्तु यदि अनुसूचित जाति की कम जनसंख्या के कारण यथापूर्वोक्त स्थानों का आरक्षण संभव न हो और सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का कम से कम पांच प्रतिशत हो तो, ग्राम पंचायत में एक स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं है, वहां अनुसूचित जाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है, वहां अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्यों के लिए स्थान, अनुसूचित जाति के सदस्यों को उपबंधित आरक्षण के भीतर आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच स्थानों के आरक्षण का अवधारण उस ग्राम सभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए पद "गैर जनजातीय क्षेत्र" से हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के आधे, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3–क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के आधे (जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(4) राज्य सरकार, साधारण या विषेश आदेश द्वारा ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका ग्राम पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग से संबधित व्यक्तियों की जनसंख्या के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो, और इस उप–धारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के आधे स्थान पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

(5) उप–धारा (2), (3), (3–क) और (4) के अधीन आरक्षित स्थानों का सभा क्षेत्र के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन, चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

(6) यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन में उप–धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट संख्या में अपेक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं होता है तो, उपायुक्त, उस तारीख से जिसको निर्वाचित सदस्यों के नाम उस द्वारा धारा 126 के अधीन प्रकाशित किए जाते हैं, एक मास के भीतर कमी को पूरा करने के लिए दूसरे निर्वाचन की व्यवस्था करेगा।

11–क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए अभिलेख का अनुरक्षरण.–(1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात् समय समय पर, किसी भी कारण से पशुओं की संख्या में कभी कोई परिर्वतन होता है, उसके परिवार के स्वामित्वाधीन पशु का विवरण या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत सचिव को देने के लिए या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरों की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत पशुओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी और उसके अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु ग्राम पंचायत ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी जैसी ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए।

(3) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा रखे गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान के अभिलेख को बनाए रखे।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अधिकारिता के भीतर भटकते (आवारा) पशुओं की पहचान कराने में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की सहायता करे।

(5) पहचान चिन्ह वाला कोई पशु यदि भटकता (आवारा) पाया जाता है, तो पशु के स्वामी की पहचान ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा बनाए रखे अभिलेख से करेगी और ऐसा स्वामी प्रथम अपराध के लिए तीन सौ रुपये और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में पांच सौ रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत ऐसे भटकते (आवारा) पशु की, पहचान चिन्ह के साथ छेड़–छाड़ या उस को विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन औषधालय के प्रभारी को करेगी जो भटकते (आवारा) पशु को नजदीकी गौसदन या गौशाला को सौंपेगा।

99. पंचायत निधि.–(1) प्रत्येक पंचायत, पंचायत निधि के नाम से ज्ञात, निधि स्थापित करेगी और पंचायत द्वारा प्राप्त सारी राशियां, पंचायत निधि का भाग बनेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, पंचायत में निहित सारी संपत्ति और पंचायत निधि का प्रयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों या साधारणतया पंचायत के विकास से संबधित अन्य क्रियाकलापों के अन्य प्रयोजनों या ऐसे अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा पंचायत के आवेदन पर या लोक हित में अन्यथा, स्वीकार किए जाएं। पंचायत निधि समीपस्थ सरकारी खजाने या उप-खजाने अथवा डाकखाने या सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

(3) राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी विनिर्दिष्ट संकर्म या प्रयोजन के लिए पंचायत को आबंटित राशि का उपयोग, अनन्य रूप से ऐसे संकर्म या प्रयोजन के लिए और ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशेष रूप से इस निमित्त जारी किए जाएं।

(4) ग्राम पंचायत निधि से राशि, केवल ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षारों के अधीन, यदि प्रधान के पद की आकस्मिक रिक्ति हो, तो ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और उप-प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन और, यदि प्रधान और उप-प्रधान दोनों के पदों की समसामयिक रूप से रिक्तियां हो जाएं, तो ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक और ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी :

परन्तु पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि में से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम उसी दशा में ही निकाल सकेगा यदि उस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव तैनात नहीं है।

(5) पंचायत समिति निधि से राशि, केवल पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति के प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी।

(6) जिला परिषद् निधि से राशि, केवल जिला परिषद् के सचिव चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत, जिला परिषद् के किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी।

122. निरर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(क) से (ख ख) xxx xxx xxx

(ग) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमी का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "परिवार का सदस्य" से पति—पत्नी उनके पुत्र (पुत्रों), अविवाहिता पुत्री (पुत्रियां) और दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्री अभिप्रेत है।

(घ) से (ढ) xxx xxx xxx

(2) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगा :—

(i) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए;

(ii) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा।

131. आकस्मिक रिक्तियां.—(1) यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी निर्वाचित किए जाने पर :—

(क) तत्पश्चात् धारा 122 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है और ऐसी निरर्हता नहीं हटाई जा सकती है या हटाई जा सकती है किन्तु हटाई नहीं जाती है;

(ख) पंचायत या इसकी समितियों की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना छः मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है;

तो वह, उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा :

परन्तु जहां पदाधिकारी ने पंचायत को खण्ड (ख) के अधीन, अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन दिया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, आवेदन पर अपने विनिश्चय को आवेदक को सूचित करने में असफल रहती है, वहां पंचायत द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक मामले में यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या उप–धारा (1) के अधीन रिक्ति हो गई है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में उपायुक्त और जिला परिषद् के बारे में निदेशक, सक्षम प्राधिकारी होगा, जो या तो किसी व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, अपना विनिश्चय, दे सकेगा। जब तक यथास्थिति, उपायुक्त या निदेशक यह विनिश्चित नहीं करता है कि रिक्ति हो गई है, तब तक व्यक्ति का पदधारी रहना समाप्त नहीं होगा :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन किसी पदधारी के विरुद्ध आदेश, उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, उपायुक्त या निदेशक के उप–धारा (2) के अधीन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीन दिन के भीतर क्रमशः निदेशक या सरकार को अपील कर सकेगा जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) किसी पदाधिकारी की पदावधि का अवसान होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने या उसके हटा दिए जाने या उप–धारा (1) के अधीन उसके पदाधिकारी न रहने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र, भरी जाएगी। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि के लिए ऐसा पद तत्काल धारण करेगा।

(5) किसी ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप–प्रधान, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में एक ही समय पर आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नए प्रधान या अध्यक्ष निर्वाचित होने तक किसी ऐसे पदाधिकारी को जो प्रधान या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अर्हित है, यथास्थिति, प्रधान या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।

(6) पंचायत में, उस विस्तार तक आकस्मिक रिक्तियां घटित होने की दशा में, कि पंचायत की बैठक बुलाने के लिए शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण नहीं करती है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, तब तक जब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, पंचायत में घटित आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार विशिष्ट आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल, उसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाने और उस विशिष्ट पंचायत का पद धारण करने के लिए पात्र है।

144. अभिलेख तथा वस्तुएं वसूल करने की शक्ति.—(1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत का कोई अभिलेख या वस्तुएं अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, पंचायत को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या ऐसा करने से इन्कार करता है तो विहित प्राधिकारी मजिस्ट्रेट को मामले की रिपोर्ट कर सकेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज सकेगा।

(3) मजिस्ट्रेट–

किसी ऐसे अभिलेख या किन्हीं ऐसी वस्तुओं को वापस कराने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हो।

(4) उप–धारा (1) या (2) या (3) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।

(5) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरम्भ किए जाने से छः वर्ष की कालावधि के लिए, किसी पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 5.
4. Insertion of new section 5-B.
5. Amendment of section 7.
6. Amendment of section 8.
7. Amendment of section 11-A.
8. Amendment of section 99.
9. Amendment of section 122.
10. Amendment of section 131.
11. Amendment of section 144.

Bill No. 9 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),— Amendment of section 2.

(a) after clause (19), the following new clause (19-A) shall be inserted, namely:—

"(19-A) "Mahila Gram Sabha" means a Mahila Gram Sabha constituted under section 5-B of this Act;"; and

(b) after clause 21, the following new clause (21-A) shall be inserted, namely:—

"(21-A) "near relative" means any person who is related to the office-bearer of the Panchayat which includes father, mother, grand-father, grand-mother, wife, husband, father-in-law, mother-in-law, maternal or paternal uncle, son, grand-son, daughter, grand-daughter, son-in-law, daughter-in-law, brother, brother-in-law, nephew, niece, sister or sister's husband;".

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "on the first Sunday of January, April, July and on second October", the words and signs "in the months of January, April, July and October" shall be substituted, and after sub-section (1) as so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the general meetings of Gram Sabha shall be held in such a manner that all the Gram Panchayats are covered in a District in each of such months. The District Panchayat Officer concerned shall notify Gram Panchayat-wise dates for the Gram Sabha meetings within the District:".

Insertion of new section 5-B.

4. After section 5-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"5-B. Constitution of Mahila Gram Sabha.- (1) There shall be a Mahila Gram Sabha in every Gram Sabha. The Mahila Gram Sabha shall hold two meetings, first on 8th March and second on first Sunday of September in each year which shall be convened by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat.

(2) The meeting of Mahila Gram Sabha shall be presided over by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat. In the meeting, the issues relating to women and children and issues pertaining to overall development of Gram Panchayat shall be discussed and decision taken in the meeting shall be placed in the meeting of the Gram Sabha for further appropriate action.".

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no person shall be chosen as member of the vigilance committee who is a near relative of the office-bearer of Gram Panchayat.".

6. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing first, second and third provisos, the following proviso shall be substituted, namely:— Amendment of section 8.

"Provided that where there is no eligible candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be elected as member of the Gram Panchayat, no seat shall be reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.".

7. In section 11-A of the principal Act, in sub-section (5), for the words "three hundred" and "five hundred", the words "five hundred" and "seven hundred" shall respectively be substituted. Amendment of section 11-A.

8. In section 99 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "Executive Officer", the word "Secretary" shall be substituted. Amendment of section 99.

9. In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:— Amendment of section 122.

"Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s): or".

10. In section 131 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "occurred in his office", the words "for which a formal order shall be issued accordingly by the District Panchayat Officer" shall be inserted. Amendment of section 131.

11. In section 144 of the principal Act,— Amendment of section 144.

(a) in sub-section (1), the words "or paid" shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), the words "or pay the money" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently there is no provision in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 which may empower the women in the rural areas to exclusively discuss the issues relating to the women and children and issues concerning overall development of the Panchayat. This matter has been considered and it has been decided to make a provision for the constitution of Mahila Gram Sabha under the Act ibid in each Gram Panchayat for the purpose of redressal of issues relating to them. In order to ensure that the village level functionaries of various Department of the State Government attend the meeting of the Gram Sabha, it has also been decided to empower the District Panchayat Officer to notify different dates for the meetings of Gram Sabha in each Gram Panchayat. Futher, there are complaints that the office-bearers of the Panchayats are nominating their close kiths and kins as members in the Vigilance Committee of the Gram Sabha which leads to a deep nexus between the office-bearers and the members of the Vigilance Committee resulting in misutilization of Government funds. Thus, in order to curb this malpractice, it has also been decided to define the expression "near relatives" and to make provision for their exclusion for being appointed as members of Vigilance Committee and also to ensure transparency and quality of works executed by the Panchayats. Further, section 122 deals with disqualifications of an office- bearer of a Panchayat. There are complaints that family members of the office-bearers are encroachers of the Government land and the office bearers are indirectly beneficiary thereof. Thus, the explanation below sub-section (1) of section 122 is being made more exhaustive. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIL SHARMA)
Minister-in-Charge

SHIMLA:

The , 2015.

FINANCIAL MEMORADNUM

-Nil –

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil –

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

(ANIL SHARMA)
Minister-in-Charge.

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

The , 2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ ACT, 1994 (ACT No. 4 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) to (18) XXX XXX XXX XXX XXX

(19) "land revenue" includes tirni or grazing dues levied for grazing on Government land;

(20) XXX XXX XXX XXX XXX

(21) "municipality" means an institution of self-Government constituted under article 243-Q of the Constitution of India and includes a Cantonment Board set up under the Cantonments Act, 1924(2 of 1924);

Clauses (22) to (28) XXX XXX XXX XXX XXX

5. Meeting and quorum of Sabha.—(1) Every Sabha shall hold four general meetings in each year and every meeting shall held on the first Sunday of January, April, July and on second October. It shall be the responsibility of the Pradhan to convene such meetings:

Provided that the Pradhan may, at any time or upon a requisition in writing of not less than one-fifth of the members of the Gram Sabha or if required by the Panchayat Samiti, Zila Parishad or the Deputy Commissioner, shall, within 30 days from the receipt of such requisition, call an extraordinary general meeting:

Provided further that where a Pradhan fails to convene the meetings under this sub-section, the prescribed authority shall convene such meetings within a period of thirty days.

(2) The time and place of all the meetings of the Gram Sabha shall be published in the prescribed manner.

(3) For any general meeting of the Gram Sabha, representation of at least one-third of the total number of families represented by one or more members of the Gram

Sabha shall form a quorum and decision will be taken by a majority of members present and voting:

Provided that for a meeting adjourned for want of quorum, representation of at least one-fifth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha shall be required for holding the adjourned meeting.

(4) The meeting of the Gram Sabha shall be presided over by Pradhan or in absence of Pradhan by Up-Pradhan. In the event of both Pradhan and Up-Pradhan being absent, the meeting of Gram Sabha shall be presided over by a member of the Gram Sabha to be elected for the purpose by the majority of members present in the meeting.

7. Functions of Gram Sabha.—(1) the Gram Sabha shall perform the following functions, namely:—

(a) to (f) XXX XXX XXX

(2) The Gram Sabha shall consider the following matters, and make recommendations and suggestions to the Gram Panchayat, namely:—

(a) to (f) XXX XXX XXX

(3) The Gram Panchayat shall give due consideration to the recommendations and suggestions of the Gram Sabha.

(4) The Gram Sabha may also form one or more vigilance committee(s) consisting of not less than five persons, who are not members of the Gram Panchayat, to supervise the Gram Panchayat works, schemes and other activities and to put up reports concerning them in its meeting and shall also send a copy of the said report to such an authority as may be prescribed for this purpose:

Provided that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the vigilance committee if he has incurred any of the disqualifications mentioned in sub-section (1) of section 122, except the disqualification mentioned under clause (g).

(5) The village level functionaries of the Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Irrigation and Public health, Revenue and Welfare Departments shall attend the meetings of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted, and if such village level functionaries fail to attend the meetings, the Gram Sabha shall report the matter to their controlling officer through the Gram Panchayat,

who shall take disciplinary action against such functionaries within one month from the date of receipt of the report and shall intimate the action taken on such report to the Gram Sabha through the Gram Panchayat.

8. Constitution of Gram Panchayats.—(1) There shall be a Gram Panchayat for a Gram Sabha and every Gram Sabha shall, in the prescribed manner, elect from amongst its members a Pradhan and Up-Pradhan of the Sabha who shall also be called the Pradhan and Up-Pradhan of the Gram Panchayat and shall also elect from amongst its members an Executive Committee called the Gram Panchayat consisting of such number of persons not being less than seven and more than fifteen, including Pradhan and Up-Pradhan], as the Government may by notification determine:

Provided that the number of members excluding Pradhan and Up-Pradhan to be assigned to each Gram Sabha, shall be determined on the following scale:—

(a) with a population not exceeding 1750 .. five

(b) with a population exceeding 1750 but not exceeding 2750 .. seven

(c) with a population exceeding 2750 but not exceeding 3750 .. nine

(d) with a population exceeding 3750 but not exceeding 4750. .. eleven

(e) with a population exceeding 4750 ..thirteen:

Provided further that the number of members of a Gram Panchayat, excluding Pradhan and Up-Pradhan, shall be determined in such a manner that the ratio between the population of the Gram Sabha and the number of seats of members in such a Panchayat to be filled by election shall, so far as practicable, be the same throughout the Sabha area:

Provided further that the member of the Panchayat Samiti, representing a part or whole of the Gram Sabha area shall also be the member of the concerned Gram Panchayat(s) and shall have the right to vote.

(2) Seats shall be reserved in a Gram Panchayat—

(a) for the Scheduled Castes, and

(b) for the Scheduled Tribes,

and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, same proportion to the total number of seats in the Gram Panchayat as the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Sabha area bears to the total population of the Sabha area:

Provided that in case no reservation of seats is possible as aforesaid due to small population of the Scheduled Castes and the population of Scheduled Castes of the Sabha area is atleast five percent of the total population of the Sabha area, one seat shall be reserved for the Scheduled Castes in such a Gram Panchayat:

Provided further that where there is no eligible candidate belonging to the Scheduled Castes to be elected as a member of the Gram Panchayat, no seat shall be reserved for Scheduled Castes:

Provided further that in non-tribal areas where there is Scheduled Tribes population in a Gram Sabha, seats shall be reserved for such members of the Scheduled Tribes within the reservation provided for the members of the Scheduled Castes and the determination of seats to be reserved amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be in proportion to their population in that Gram Sabha.

Explanation.—The expression "non-tribal area" for the purpose of this proviso shall mean the areas other than the Scheduled Areas specified in relation to the State of Himachal Pradesh.

(3) One-half of the total number of seats reserved under sub-section (2) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.

(3-A) One- half (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Gram Panchayat shall be reserved for women.

(4) The State Government may, by general or special order, reserve such number of seats for persons belonging to Backward Classes in a Gram Panchayat, not exceeding the proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Gram Panchayat as the population of the persons belonging to Backward Classes in that Gram Sabha area bears to the total population of that area and may further reserve one-half of the total seats reserved under this sub-section for women belonging to Backward Classes.

(5) The seats reserved under sub-sections (2), (3), (3-A) and (4) shall be allotted by rotation to different constituencies in the Sabha area in such manner as may be prescribed.

(6) If for any reason the election to any Gram Panchayat does not result in the election of required number of persons as specified in sub-section (1), the Deputy Commissioner, shall within one month from the date on which the names of the elected persons are published by him under section 126 arrange another election to make up the deficiency.

11-A. Registration of cattle and maintenance of record therefor.—(1) Head of every family shall be responsible to give or cause to be given, either orally or in writing, the details of cattle owned by his family to the concerned Pradhan or the Panchayat Secretary of the Gram Panchayat, within a period of one month from the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006, and thereafter every time as and when any change in the number of cattle takes place by any reasons.

(2) On receipt of the details of cattle under sub-section (1), the Gram Panchayat shall register cattle and shall maintain records thereof in such form as may be notified by the State Government:

Provided that the Gram Panchayat may charge registration fee at such rate as may be fixed by the Gram Panchayat.

(3) It shall be the duty of the Gram Panchayat to assist the officials or persons engaged by the Animal Husbandry Department for applying appropriate identification mark on each cattle and to maintain the record of identification.

(4) It shall be the duty of every Gram Panchayat to assist the officials or representatives of the Animal Husbandry Department in identifying the stray cattle within its jurisdiction.

(5) If any cattle with identification mark is found stray, the owner of the cattle shall be identified by the Gram Panchayat from the record maintained by it and such owner shall be liable to a fine of three hundred rupees for the first offence and five hundred rupees in the event of second or subsequent offence, which shall be imposed by the Gram Panchayat.

(6) If the Gram Panchayat fails in identifying such stray cattle due to tampering with identification mark or mutilation thereof, it shall report the matter to the In-charge of the nearest Animal Husbandry Dispensary who shall lodge the stray cattle to the nearest Gosadan or Goshala.

99. Panchayat Fund.—(1) Every Panchayat shall establish a fund to be called the Panchayat Fund and all sums received by the Panchayat, shall form part of the said Fund.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, all property vested in the Panchayat and the Panchayat fund shall be applied for the purposes of this Act or for other purposes connected with the activities for the development of Panchayat generally or for such other expenses as the State Government may approve on an application of Panchayat or otherwise in the public interest. The Panchayat Fund shall be kept in the nearest Government Treasury or Sub-Treasury or Post Office or Co-operative Bank or Scheduled Bank.

(3) An amount allotted to the Panchayat by the State Government or any other person or local authority for any specified work or purpose shall be utilized exclusively for such work or purpose and in accordance with such instructions as the State Government may either generally or specially issue in this behalf.

(4) The amount from the Gram Panchayat Fund shall be withdrawn, only under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and Pradhan, if there is casual vacancy in the office of the Pradhan, under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and the Up-Pradhan and, if there are casual vacancies simultaneously in the offices of both the Pradhan and the Up-Pradhan, under the joint signatures of the Secretary or the Panchayat Sahayak of Gram Panchayat and any member of the Gram Panchayat authorised by the Gram Panchayat in this behalf:

Provided that the Panchayat Sahayak shall not withdraw the amount from the Gram Panchayat fund as joint signatory unless authorized by the Director for this purpose:

Provided further that in a particular Gram Panchayat, the Panchayat Sahayak shall withdraw the amount from the Gram Panchayat Fund as joint signatory only in case there is no Panchayat Secretary posted in that Panchayat.

(5) The amount from the Panchayat Samiti Fund shall be withdrawn only under the joint signatures of Executive Officer, by whatever name called, of the Panchayat Samiti and Chairman or any other member of the Panchayat Samiti authorized by the Panchayat Samiti.

(6) The amount from the Zila Parishad Fund shall be withdrawn only under the joint signatures of the Secretary, by whatever name called, of the Zila Parishad and Chairman or any other member of the Zila Parishad authorized by the Zila Parishad.

122. Disqualifications.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, an office bearer, of a Panchayat—

(a) to (bb) XXX XXX XXX

(c) if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean the spouse, their son(s), unmarried daughter(s) and adopted son and unmarried daughter; or

(d) to (n) XXX XXX XXX

(2) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1), shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided—

(i) if such question arises during the process of an election, by an officer as may be authorized in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(ii) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner.

131. Casual vacancies.—(1) If any person having been elected as an office bearer of a Panchayat—

(a) subsequently becomes subject to any of the disqualification mentioned in section 122 and such disqualifications is not removable or being removable is not removed;

(b) absents himself from three consecutive meetings of the Panchayat or its Committee or does not attend half the number of meetings held during the period of six months without the leave of the Panchayat;

he shall, subject to the provisions of sub-section (2), cease to be such office bearer and his office shall become vacant:

Provided that where an application is made by an office bearer to the Panchayat for leave to absent himself under clause (b) and the Panchayat fails to inform the applicant of its decision on the application within a period of one month from the date of receipt of the application, the leave applied for, shall be deemed to have been granted by the Panchayat.

(2) In every case the authority competent to decide whether a vacancy has occurred under sub-section (1) shall be the Deputy Commissioner in respect of Gram Panchayat and Panchayat Samiti and the Director in respect of Zila Parishad who may give his decision either on an application made to him by any person or on his own motion. Until the Deputy Commissioner or the Director, as the case may be, decides that the vacancy has occurred, the person shall not cease to be an office bearer:

Provided that no order shall be passed under this sub-section against any office bearer without giving him a reasonable opportunity of being heard.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner or the Director, as the case may be, under sub-section (2) may, within a period of 30 days from the date of such decision, appeal to the Director or the State Government respectively, whose orders on such appeal shall be final.

(4) In the event of death, resignation or removal of an office bearer or his ceasing to be an office bearer under sub-section (1) or his becoming a Member of State Legislative Assembly or a Member of either House of Parliament before the expiry of his term, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in his office and such vacancy shall be filled as soon as may be by election, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder. A person elected to fill the vacancy shall take office forthwith for the unexpired term of his predecessor.

(5) In the event of casual vacancy occurring simultaneously in the office of the Pradhan and Up-Pradhan of a Gram Panchayat, Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samiti or Zila Parishad, the Gram Panchayat or the Panchayat Samiti or the Zila Parishad shall elect an office bearer qualified to hold the office of Pradhan or Chairman, as the case may be, till new Pradhan or Chairman is elected in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(6) In the event of occurrence of casual vacancies in a Panchayat to the extend that the number of the remaining elected office bearers do not fulfil the quorum required for convening a meeting of the Panchayat then the State Government or the prescribed authority may nominate persons to fill the casual vacancies occurred in a Panchayat till new members are elected in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:

Provided that the State Government will nominate only that person to fill a particular casual vacancy who is eligible to be elected as an office bearer of a Panchayat and to hold office of that particular Panchayat in accordance with the provisions of this Act.

144. Power to recover records and articles.—(1) Where the prescribed authority is of the opinion that any person has retained unauthorisedly in his custody any record or article belonging to the Panchayat, he may, by a written order require that the record or article be delivered or paid forthwith to the Panchayat, in the presence of such officer as may be appointed by the prescribed authority in this behalf.

(2) If any person fails or refuses to deliver the record or article or pay the money as directed under sub-section (1), the prescribed authority may report the matter to the Magistrate and on receipt of such report the Magistrate may cause such a person to be apprehended and may send him in a Judicial lock-up for a period not longer than fifteen days.

(3) The Magistrate may—

for recovering any such record or articles issue a search warrant and exercise all such powers with respect thereto as may lawfully be exercised by a Magistrate under the Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) No action under sub-sections (1) or (2) or (3) shall be taken unless a reasonable opportunity has been given to the person concerned to show cause why such action should not be taken against him.

(5) A person against whom an action is taken under this section shall be disqualified to be an office bearer of any Panchayat for a period of six years commencing from the initiation of such action.